

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

अधिसूचना

सं०-05/स्था०-146/2007 परि०-

/पटना,दिनांक-

प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 213 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती रीता कुमारी, आयुक्त के सचिव, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, भागलपुर के कार्यों के निष्पादन हेतु दिनांक 22.10.2013 से अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित करते हुए अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, भागलपुर के कार्य सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-


प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

दिनांक- 02/12/2013

ज्ञापांक 6174

प्रतिलिपि:- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग पटना को राजकीय राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/महालेखाकार, बिहार, पटना /प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर/जिला पदाधिकारी, भागलपुर / श्रीमती रीता कुमारी, आयुक्त के सचिव, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर /जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर एवं बांका/मोटरयान निरीक्षक, भागलपुर एवं बांका, /माननीय मंत्री, परिवहन के सचिव/प्रधान सचिव के सचिव, परिवहन विभाग/सभी विभागीय पदाधिकारी/आई.टी. मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, परिवहन विभाग/स्थापना शाखा, परिवहन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।